न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 168/2023 वाद
GCMS No. – 2023/559

1. हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल जाति पाटीदार उम्र 80 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. भगतराम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार उम्र 55 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादीगण

//बनाम//

1. प्रभुबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 दारू तहसील व जिला नीमच (म0प्र0)।
2. धापुबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी (राज0)।
3. चांदीबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 सुवाखेड़ा तहसील जावद (म0प्र0)।
4. प्रेमबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
5. श्यामसुन्दर पिता रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
6. हेमन्त कुमार पिता रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
7. निर्मला उर्फ मुन्नाबाई पुत्री रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन हा0मु0 जनकपुर तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
8. मंजुबाई पुत्री रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन हा0मु0 भरभड़िया तहसील व जिला नीमच (म0प्र0)।
9. रामेश्वरलाल पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
10. मदनलाल पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
11. ओमप्रकाश पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
12. भुवानीराम पिता प्यारचन्द कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
13. सत्तार कुरैशी पिता हब्बु जी कुरैशी जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज0)।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा (राज0)।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण
2– श्री हस्तीमल सेठिया – अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 से 13

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में निम्न आराजियात स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

(अ) क्र.सं.	आराजी नं0 (पुराना)	आराजी नं0 (नया)	रकबा	लगानी
1–	226	377	0.3200 है0	9.76/–
2–	232	384	0.5400 है0	16.47/–
कुल किता– 2			कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर	

(ब) क्र.सं.	आराजी नं0 (पुराना)	आराजी नं0 (नया)	रकबा	लगानी
1–	229	380	0.0100 है0	गे.मु. चाह
2–	229 मीन	381	0.2300 है0	गे.मु. कुंआ
कुल किता– 2			कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर	

(स) क्र.सं.	आराजी नं0 (पुराना)	आराजी नं0 (नया)	रकबा	लगानी
1–	155	207	0.3800 है0	7.22/–
2–	156	208	0.1400 है0	गे.मु. कुआं
3–	157	209	2.2700 है0	43.13/–
4–	158	210	2.3300 है0	44.27/–
5–	225	376	0.8800 है0	16.72/–
कुल किता– 5			कुल रकबा 6.0000 हैक्टेयर	

चरण संख्या "अ" व "ब" में वर्णित आराजियात स्व0 झमकुबाई के जमाने की होकर उसकी पुत्री स्व0 दौलीबाई की है तथा "स" में वर्णित आराजियात में झमकू बाई का 1/3 हक हिस्सा दर्ज है जो उनकी पुत्री दौलीबाई को प्राप्त हुआ और दौलीबाई के देहान्त के बाद उनके वारिस प्रतिवादी नं. 1 से 11 के हक हिस्से का है और यही हिस्सा विवादित हिस्से के रूप में संबोधित किया गया है तथा वाद पत्र के चरण संख्या 1 के अ, ब, स में वर्णित आराजियात में स्व0 झमकू पत्नी बाबरू जी के जमाने की होकर झमकू का [illegible] होने के बाद विवादित आराजियात उनकी पुत्री दौलीबाई पिता बाबरू जी के [illegible] में दर्ज हुई। दौलीबाई के 3 पुत्र प्रतिवादी नं. 9, 10, 11 हुए तथा 3 पुत्रियां प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 4, व स्व0 रूकमण बाई के वारिस प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 व 8 हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि स्व0 झमकू बाई ने विवादित आराजियात संख्या 155, 157, 158, 225, 156 व 229 (पुराने) में अपने 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादी के पक्ष में दिनांक 01.02.1985 को निष्पादित किया तभी से विवादित आराजियात पर वादी नं0 1 का कब्जा चला आ रहा है तथा विवादित आराजियात वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 11 स्व0 झमकू बाई की पुत्री दौलीबाई के वारिसान होकर विवादित आराजियात को लेकर झगडा करते है जिसके लिये वादी नं0 1 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 111/89 पेश किया तथा आराजी संख्या 226 व 232 (पुराना) को दौराने वाद स्व. दौलीबाई ने प्रतिवादी नम्बर 12 व स्व. रामनिवास पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार को बिना किसी अधिकार के दिखावटी तौर से दिनांक 23.05.1990 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया और स्व. रामनिवास ने बिना किसी अधिकार के दौराने वाद इसी 1/2 हक हिस्से को प्रतिवादी नं0 13 को दिनांक 29.06.1991 को दिखावटी तौर से बय नाम निष्पादित कर दिया जो वादी के मुकाबले बेअसर है। विवादित आराजियात पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से वादी नम्बर 1 शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण वादी के हक अधिकार को नहीं मानते है इसलिए वादी नम्बर 1 इस आशय की एक घोषणात्मक डिक्री के जरिये अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात के संबंध में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें तथा वादी की खातेदारी में दर्ज की जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एवं 4 से 12 ने दिनांक 21.09.2023 को मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी नम्बर 3 की और से जरिये अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ व 13 की और से जरिये अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया ने उपस्थित होकर राजीनाम प्रस्तुत किया। प्रकरण में बाद में प्रतिवादी 3 व 13 ने स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 21.09.2023 को प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया। उभय पक्ष ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत राजीनामा उभयपक्ष को पढ़ कर सुनाया गया जिसे सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचना उनके अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ एवं प्रतिवादी नं0 1 से 13 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया ने की। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादीगण दस्तावेज के रूप में ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता

संख्या 413 की आराजी नम्बर 377, 384 कुल किता–2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टैयर भूमि प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिवादी नं0 12 भुवानीराम का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 13 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 685 की आराजी नम्बर 380, 381 कुल किता–2 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर की प्रस्तुत की है जिसमें दौलीबाई पुत्री बाबरु का 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 208 की आराजी नम्बर 0.1400 हैक्टेयर में दौलीबाई के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 से 11 का 1/4 हिस्सा है। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 207, 209, 210, 376 कुल किता– 4 कुल रकबा 5.8600 हैक्टेयर भूमि में दौलीबाई के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 से 11 का 1/3 हिस्सा है। ग्राम अरनोदा का मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। वादीगण ने वसीयतनामा एवं बयनाम की प्रमाण्ति प्रति प्रस्तुत की है। वादीगण ने विक्रय विलेख एंव बयनामा की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 21.09.2023 को राजीनाम प्रस्तुत किया जिसमें अंकित कि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 से 12 सभी एक ही परिवार के सदस्य है दोनों पक्षों के बीच 35 वर्षो से विवाद न्यायालय में चल रहे है गांव के मौतबिर लोगों ने व परिवार के रिश्तेदारों ने मिलकर आपसी तौर से राजीनामा करा दिया है और राजीनामें के अनुसार वाद पत्र के चरण संख्या 1 के "अ" में वर्णित आराजियात वादी नं0 1 के हक हिस्से में रखी गयी है तथा उक्त आराजियात को वादी नं0 1 अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी होगा। इसी प्रकार वाद पत्र के चरण संख्या 1 के "ब" में वर्णित आराजियात चाह में जो स्व. दौलीबाई के नाम का 1/3 दर्ज हिस्सा जिसके मालिक दौलीबाई के वारिस प्रतिवादी नं0 1 से 11 है। दौलीबाई का दर्ज 1/3 हिस्सा का अधिकारी वादी नं0 1 होगा और वह इसी अनुसार अपना नाम दर्ज करा सकेगा। इसी तरह वाद पत्र के चरण संख्या 1 के "स" में वर्णित आराजी संख्या 207, 209, 210 में स्व. दौलीबाई के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 से 11 के नाम दर्ज हिस्सा आराजी को राजीनामें से वादी नं0 1 के हक हिस्से में रखा गया है वादी नं0 1 जरिये राजीनामा इसे अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी होगा। इसी चरण में दर्ज आराजी संख्या 208 आराजी चाह में दौलीबाई के वारिसान का दर्ज 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 12 के हिस्से में रहेगा और वह यह हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा तथा इसी चरण की आराजी संख्या 225 (पुराना) 376 (नया) में स्व0 दौलीबाई के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 से 11 के नाम से दर्ज हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 से 11 के कब्जे व खातेदारी में रहेगा जिसे सभी पक्ष स्वीकार करते है। दोनों पक्षों ने उपरोक्त राजीनामें को अलग से स्टाम्प पर भी दोनों पक्षों ने दिनांक 01.08.2023 को [illegible] के पक्ष में निष्पादित कर दिया है और उपरोक्त राजीनामें के अनुसार दोनों पक्ष मौके पर काबिज है तथा दोनों पक्षों के बीच सारे विवाद समाप्त हो चुके है। दोनों पक्ष वाद व्यय अपना अपना वहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punagia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

करेंगें। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने राजीनाम प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया उभयपक्ष ने राजीनामें अनुसार ग्राम ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 413 की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 384 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टैयर जो वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 12 व 13 के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त सम्पूर्ण भूमि को वादी नं0 1 हुकमीचन्द पिता भैरूलाल के नाम घोषित कराना चाहते हैं। इसी प्रकार ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 685 की आराजी नम्बर 380 रकबा 0.3200 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गु.मु.चाह, आराजी नम्बर 381 रकबा 0.2300 हैक्टेयर गे.मु. चाह कुल किता–2 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि में दौलीबाई पुत्री बाबरू के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्से को वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम घोषित कराना चाहते है। इसी प्रकार ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 207 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 2.3300 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 के नाम दर्ज हक हिस्सा वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम घोषित कराना चाहते है। इसी प्रकार ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 687 की आराजी नम्बर 208 रकबा 0.1400 हैक्टेयर गै.मु. खड्डा भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 के नाम दर्ज हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम पिता प्यारचन्द के नाम घोषित कराना चाहते है तथा ग्राम अरनोदा की खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 376 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का दर्ज हक हिस्सा उनके नाम यथावत रखाना चाहते है। अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार कतई डिक्री किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री योग्य है।

6. अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 413 की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 384 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 13 सत्तार कुरेशी के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा, उक्त खाते में दर्ज दोनों का सम्पूर्ण हक हिस्सा कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है तथा उक्त भूमि में खातेदार प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम एवं प्रतिवादी नम्बर 13 सत्तारकुरेशी नाम विलोपित किया जावें तथा वादी नं0 1 हुक्मीचन्द को आदेशित किया जाता है कि अपने नाम घोषित उक्त हिस्सा रकबा 0.8600 हैक्टेयर की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 685 की आराजी नम्बर 380 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गु.मु.चाह, आराजी नम्बर 381 रकबा 0.2300 हैक्टेयर गे.मु. चाह कुल किता–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि में दौलीबाई पुत्री बाबरू के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्सा वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल की खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा दौलीबाई पुत्री बाबरू का नाम विलोपित किया जावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 687 की आराजी नम्बर 208 रकबा 0.1400 हैक्टेयर गै.मु. खड्डा भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 के नाम दर्ज हक हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम पिता प्यारचन्द के नाम घोषित किया जाता है तथा खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 नाम विलोपित किया जावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 207 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 2.3300 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 नाम विलोपित किया जावे। उक्त खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 376 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का दर्ज हक हिस्सा उनके नाम यथावत रहेगा। शेष बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 168/2023 वाद
GCMS No. – 2023/559

1. हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल जाति पाटीदार उम्र 80 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. भगतराम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार उम्र 55 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0। –वादीगण

//बनाम//

1. प्रभुबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 दारू तहसील व जिला नीमच (म0प्र0)।
2. धापुबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी (राज0)।
3. चांदीबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 सुवाखेड़ा तहसील जावद (म0प्र0)।
4. प्रेमबाई पुत्री कनीराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा हा0मु0 जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
5. श्यामसुन्दर पिता रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
6. हेमन्त कुमार पिता रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
7. निर्मला उर्फ मुन्नाबाई पुत्री रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन हा0मु0 जनकपुर तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
8. मंजुबाई पुत्री रामचन्द्र जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन हा0मु0 भरभड़िया तहसील व जिला नीमच (म0प्र0)।
9. रामेश्वरलाल पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
10. मदनलाल पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
11. ओमप्रकाश पिता कनीराम कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी जीरन तहसील जीरन जिला नीमच (म0प्र0)।
12. भुवानीराम पिता प्यारचन्द कुल्मी जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ रा[illegible]।
13. सत्तार कुरैशी पिता हब्बु जी कुरैशी जाति [illegible] आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी जिला [illegible] (राज0)।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्[illegible]ड़ा (राज0)। –प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण आज दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 13 के अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 413 की आराजी नम्बर 377 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 384 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 13 सत्तार कुरेशी के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा, उक्त खाते में दर्ज दोनों का सम्पूर्ण हक हिस्सा कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है तथा उक्त भूमि में खातेदार प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम एवं प्रतिवादी नम्बर 13 सत्तारकुरेशी नाम विलोपित किया जावें तथा वादी नं0 1 हुक्मीचन्द को आदेशित किया जाता है कि अपने नाम घोषित उक्त हिस्सा रकबा 0.8600 हैक्टेयर की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 685 की आराजी नम्बर 380 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह, आराजी नम्बर 381 रकबा 0.2300 हैक्टेयर गे.मु. चाह कुल किता–2 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि में दौलीबाई पुत्री बाबरू के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्सा वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल की खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा दौलीबाई पुत्री बाबरू का नाम विलोपित किया जावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 687 की आराजी नम्बर 208 रकबा 0.1400 हैक्टेयर गै.मु. खड्डा भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 के नाम दर्ज हक हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी नम्बर 12 भुवानीराम पिता प्यारचन्द के नाम घोषित किया जाता है तथा खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 नाम विलोपित किया जावें। ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 207 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 2.3300 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी नम्बर 1 हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल के नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 नाम विलोपित किया जावे। उक्त खाता संख्या 683 की आराजी नम्बर 376 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का दर्ज हक हिस्सा उनके नाम यथावत रहेगा। शेष बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:54 IST
Reason: SelfAttested

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा